ग्राम : सर्ड
Gram : SIRD

दूरभाष : 8765957400
Phone : 8765957401

महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान

बख्शी-का-तालाब, इन्दौराबाग, लखनऊ-226 202

Director General, D.D.U. State Institute of Rural Development

Bakshi-Ka-Talab, Indaurabagh, Lucknow. U.P. - 226 202

पत्रांक Ref. No. 551/स्टे011/टेण्डर/2018-19

दिनांक Date 23-05-2023

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये प्रशिक्षण किट (बैग/फोल्डर, पेन एवं पैड आदि) क्रय करने के लिये कार्य अनुबन्ध हेतु 01 वर्ष की अवधि हेतु संबंधित फर्म/संस्थाओं से ई निविदायें **On-line (https://etender.up.nic.in) e-tender** के माध्यम से आमंत्रित की गयी हैं। ई-टेण्डर हेतु निविदा सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी गयी हैं तथा संस्थान की बेवसाइट www.sirdup.in पर अपलोड भी कराया गया है। दिनांक 22 मई, 2023 को अपरान्ह् प्री-बिड मीटिंग संस्थान पर आहूत की गयी।

तदोपरान्त समिति द्वारा ई-टेण्डर में त्रृटियों को संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया। ई-टेण्डर (2023_SIRD_802337_1) के निविदा प्रकाशन में अर्नेस्टमनी रू0 06.00 लाख (रू0 छः लाख मात्र) के स्थान पर रू0 03.00 लाख (रू0 तीन लाख मात्र) पढ़ा जाये, जो निविदा शर्तो में क्रमांक-02 के क्रम संख्या-'ज' पर रू0 03.00 लाख (रू0 तीन लाख मात्र) उल्लिखित है। टर्न ओवर रूपया 0.3 करोड़ (रू0 तीन करोड़ मात्र) के स्थान पर रू0 1.5 करोड़ (रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र) पढ़ा जाय। उक्त ई-टेण्डर दिनांक 26.05.2023 के स्थान पर दिनांक 31.05.2023 को अपरान्ह् 12:00 बजे खोली जायेगी। शेष सभी शर्ते यथावत रहेंगी।

23/5/2023

कृते महानिदेशक

कार्यालय, महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ

ई–निविदा सूचना

(केवल ई–टेण्डरिंग वेबसाइट **(https://etender.up.nic.in)** के माध्यम से)

दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान एवं उसके अधीनस्थ कार्यरत 17 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों तथा 33 जिला ग्राम्य विकास संस्थानों में आयोजित होने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को उपलब्ध करायी जाने वाली प्रशिक्षण किट (बैग/फोल्डर, पेन, पैड) आपूर्ति के लिये एक वर्ष की अवधि हेतु संबंधित फर्म/संस्थाओं से ई निविदायें (https://etender.up.nic.in) On-line e-tender के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं:–

कमांक	कार्य का नाम	विवरण
1	निविदा की अनुमानित लागत	रू0 03 करोड़ (रू0 तीन करोड़)
2	अर्नेस्ट मनी	रू0 06 लाख (रू0 छः लाख मात्र)
3	निविदा प्रपत्र की धनराशि	रू0 5000/– (रू0 पांच हजार मात्र– नॉन रिफन्डेबल) डी0डी0 के रूप में जोकि महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ के नाम से देय हो।
4	निविदा प्रकाशन की तिथि	दिनांक 15.05.2023
5	ई–निविदा पोर्टल पर ई–निविदा प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 16.05.2023 पूर्वाहन् 11:30 बजे से
6	ई–निविदा पोर्टल द्वारा ई–निविदा आन लाइन जमा करने की अन्तिम तिथि व समय	दिनांक 26.05.2023 समय पूर्वान्ह 11:00 बजे तक
7	ई–निविदा अपलोड/जमा करने की प्रारम्भ तिथि	दिनांक 16.05.2023
8	ई–निविदा प्राप्त करने/डाउनलोड/ क्रय करने की अंतिम तिथि	दिनांक 26.05.2023 पूर्वान्ह 11:00 बजे तक
9	ई–निविदा पोर्टल द्वारा ई–निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोलने की तिथि, समय व स्थान	दिनांक 26.05.2023 समय अपरान्ह 12:00 बजे स्थान , कार्यालय महानिदेशक, · दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ
10	बिड वैधता की अवधि	100 दिन
11	कार्य की अवधि	365 दिन

निविदा प्रपत्र ई–निविदा की वेबसाइट https://etender.up.nic.in एवं https://www.sirdup.in पर भी देखी जा सकती है। इच्छुक फर्मों से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के संबंध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेब साइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

महानिदेशक

ई–निविदा की शर्तें

दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ (01), क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान (17) एवं जिला ग्राम्य विकास संस्थान (33) द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये प्रशिक्षण किट (बैग/फोल्डर, पेन एवं पैड आदि) क्रय करने के लिये कार्य अनुबन्ध हेतु 01 वर्ष की अवधि हेतु संबंधित फर्म/संस्थाओं से ई निविदायें **On-line (https://etender.up.nic.in) e-tender** के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं।

1. निविदा प्रक्रिया में ई-निविदा पोर्टल पर तकनीकी बिड में उल्लिखित प्रपत्रों को स्कैन कर अपलोड किया जाना होगा तथा वित्तीय बिड में अपनी दरों को अंकित करते हुए वित्तीय बिड नियमानुसार अपलोड करना होगा।
2. निविदादाता को तकनीकी बिड के साथ निम्नांकित प्रपत्रों को ई-पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

क. फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रति

ख. आयकर पंजीयन/पैन कार्ड की प्रति।

ग. जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।

घ. श्रम विभाग में पंजीकरण की छाया प्रति।

च. विगत 3 वित्तीय वर्षों (2019-20, 2020-21, .2021-22 तक) में कुल 03 करोड़ की टर्न ओवर।

छ. पिछले 3 वित्तीय वर्षों (2019-20, 2020-21, 2021-22 तक) में शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में प्रशिक्षण किट आपूर्ति का अनुभव।

ज. निविदादाता द्वारा अर्नेस्टमनी डिपाजिट के रूप में रू0 3,00,000/-(रूपये तीन लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो **"महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ"** के पक्ष में लखनऊ में देय हो, तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाना होगा। बिना अर्नेस्टमनी डिपाजिट के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

झ. निविदा प्रपत्र शुल्क रू0 5,000/- जो कि नान रिफन्डेबल होगा, का डिमान्ड ड्राफ्ट **"महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ"** के पक्ष में देय होगा, की प्रति तकनीकी बिड के साथ नियमानुसार अपलोड किया जायेगा।

उपरोक्त बिन्दु संख्या-2 पर उल्लिखित सभी प्रपत्रों को निविदादाता द्वारा तकनीकी अभिलेख प्रपत्र के साथ अपलोड किये जायेंगे।

3. अस्वीकृत निविदादाताओं की अर्नेस्टमनी डिपाजिट की धनराशि ई-निविदा खुलने के 03 माह के भीतर लौटा दी जायेगी।
4. अर्नेस्टमनी तथा निविदा प्रपत्र शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट निविदा खोले जाने वाले दिनांक 26.05.2023 को दोपहर 11:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में मूल प्रति के रूप में जमा करना होगा अन्यथा निविदायें अमान्य कर दी जायेंगी।

5. अनुमन्य दरें अनुबन्ध की तिथि से 01 वर्ष के लिये मान्य होगी। आवश्यकतानुसार कार्य संतोषजनक होने पर फर्म के अनुरोध पर महानिदेशक, संस्थान द्वारा निविदा अवधि को पुनः एक वर्ष तक के लिये आगे बढ़ाया जा सकता है।
6. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण किट का स्पेसीफिकेशन **अनुलग्नक-01** में अंकित है। तद्नुसार समस्त/सभी करों सहित प्रशिक्षण किट की दरों का उल्लेख किया जाना होगा। सफल निविदादाता को सिक्योरिटीमनी के रूप में रू0 9,00,000/-(रू0 नौ लाख मात्र) का बैंक परफॉमेन्स गारण्टी/एफ0डी0आर0 जो महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ के नाम होगा।
7. निविदादाताओं को ई-निविदा की तकनीकी बिड खोलते समय सभी प्रशिक्षण किटों के अपने सैम्पुल, जिनमें फर्म की मोहर या नाम अंकित हो, अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। सुलभ संदर्भ हेतु विशिष्टियों के अनुरूप सैम्पल किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखे जा सकते हैं। स्पेसीफिकेशन के अनुसार तकनीकी रूप से अर्ह फर्मो के सैम्पुल मानक के अनुसार होने पर ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
8. प्रशिक्षण किट की आपूर्ति हेतु प्री बिड मीटिंग दिनांक 22.05.2023 को अपराह्न 02:00 बजे संस्थान पर आयोजित की जायेगी, जिसमें निविदाताओं को प्री बिड मीटिंग के समय सभी प्रशिक्षण किटों के अपने सैम्पुल, जिनमें फर्म की मोहर या नाम अंकित हो, अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। सुलभ संदर्भ हेतु विशिष्टियों के अनुरूप सैम्पल किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखे जा सकते हैं।
9. निविदादाताओं के प्री-बिड में सैम्पल के साथ भाग लेना अनिवार्य है, जो निविदादाता प्री-बिड में सैम्पल सहित भाग नहीं लेगा उनकी बिड नहीं खोली जायेगी।
10. प्रशिक्षण किटों की आपूर्ति आदेश में अंकित समय अनुमोदित सैम्पल के मानकों के अनुसार करना होगा। रास्ते में किसी भी सामग्री के टूट-फूट की जिम्मेदारी फर्म की होगी एवं सामग्री आपूर्ति करने पर भाड़ा आदि फर्म द्वारा ही वहन किया जायेगा।
11. निविदादाताओं का कार्यालय लखनऊ में स्थित होना अनिवार्य होगा।
12. निविदादाता का OEM (मैन्यूफैक्चर) होना अनिवार्य है तथा ओ0ई0एम0 संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
13. निविदादाता का फर्म सी0ए0 द्वारा निर्गत Net Worth प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. प्रशिक्षण किटों की आपूर्ति मांग के अनुसार अनुलग्नक-3 के अनुसार उल्लिखित राज्य/क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों पर की जायेगी।
15. राज्य/क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों के सत्र निदेशक/प्रभारी स्टेशनरी द्वारा प्राप्ति एवं प्रमाणीकरण के उपरान्त मुख्यालय द्वारा प्रशिक्षण सत्र/परियोजना में धनराशि की उपलब्धता के आधार भुगतान किया जायेगा।
16. प्रशिक्षण किटों की गुणवत्ता सम्बन्धित संस्थान के आचार्य/जिला प्रशिक्षण अधिकारी/सम्बन्धित प्रशिक्षण को-ऑडिनेटर मुख्यालय स्तर/सत्र निदेशक के द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

17. महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार आवश्यकता पड़ने पर विशिष्टियों में बैग के कलर आदि में परिवर्तन किया जा सकता है, इसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
18. प्रशिक्षण किटों का भुगतान बिल प्राप्त होने के उपरान्त बजट उपलब्ध होने पर ही किया जायेगा। फर्म भुगतान अवशेष होने पर भी प्रशिक्षण किटों की आपूर्ति करता रहेगा।
19. मानक के अनुरूप सामग्री की आपूर्ति न होने पर बिलों का भुगतान नहीं किया जायेगा।
20. किसी भी ई-निविदा को अथवा सभी ई-निविदाओं को महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ द्वारा बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा तथा किसी भी प्रकार के विवाद पर वाद का न्यायालय क्षेत्र लखनऊ होगा।
21. निविदादाताओं को समस्त करों का भुगतान करना होगा, इसके लिये संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।
22. प्रशिक्षण किटों की आपूर्ति मांग के अनुसार **अनुलग्नक-3** में उल्लिखित संस्थानों पर की जायेगी तथा सम्बन्धित संस्थानों द्वारा बिलों का भुगतान किया जायेगा।
23. तकनीकी बिड में सफल ई-निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी।
24. वित्तीय बिड में दरों का उल्लेख अनुलग्नक-02 के अनुसार विशिष्टियों के अनुरूप अलग-अलग करना होगा। क्रमांक-01 से 08 तक की दरों के योग पर L-1 (फर्म) निकाला जायेगा। निविदादाताओं को सभी करों सहित दरों को अंकित किया जायेगा, उल्लिखित दर के इतर कोई अतिरिक्त भुगतान फर्म को नहीं किया जायेगा।
25. संस्थान मुख्यालय (SIRD) द्वारा प्रायोजित सत्रों की प्रशिक्षण किट का भुगतान मुख्यालय द्वारा तथा शेष प्रशिक्षण सत्रों में उपयोग की गयी किटों का भुगतान सम्बन्धित क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों द्वारा किया जायेगा।
26. संस्थान द्वारा सत्रों में उपयोगी किट का भुगतान निरन्तर किया जायेगा, परन्तु विलम्ब की स्थिति में 03 माह तक कोई भी भुगतान के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
27. कुल अनुमानित कार्य की राशि लगभग रू0 03 करोड़ (रूपये तीन करोड़ मात्र) है जो कि कम अथवा ज्यादा भी हो सकती है।
28. ई-निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र भरने के उपरान्त यह मान लिया जायेगा कि ई-निविदा प्रपत्र में उल्लिखत कार्यों/शर्तो को भली-भाँति पढ़कर समझ लिया गया है तथा उक्त निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी समस्त शर्तें निविदादाता द्वारा स्वीकार की जाती हैं।
29. संस्थान के महानिदेशक महोदय का किसी भी मामले में दिया गया निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।

महानिदेशक
दीन दयाल उपाध्याय
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बख्शी का तालाब, लखनऊ

अनुलग्नक–1

क्र.सं.	प्रशिक्षण किट का स्पेसीफिकेशन
1.	**प्रशिक्षण किट (A)** साइज 13 X10 इंच नाइलो मैटिक, जूट फोल्डर अन्दर की तरफ कई पॉकेट(01 बड़े, 2 कार्ड होल्डर, 01 पेन होल्डर) फ्लैप सहित, नोटबुक (20 पन्ने), सेलो बॉल पेन सैम्पल के अनुसार
2.	**प्रशिक्षण किट (B)** साइज 13.5X10.5 नाइलो मैटिक, जूट फोल्डर जूट पट्टी के साथ। सामने तथा पीछे नाइलो मैटिक फैब्रीक एवं नॉन वोवन, जिप सहित। 02 बड़े पॉकेट, 01 कार्ड होल्डर, 01 पेन होल्डर नोटबुक (20 पन्ने), सेलो बॉल पेन सैम्पल के अनुसार
3.	**प्रशिक्षण किट (C)** साइज 12X14X05 इंच नाइलो मैटिक, जूट फैब्रीक, अन्दर रबर सीट लगा हुआ। 1.5 इंच स्माइली/काटन बड़ा हैण्डिल, 02 मेन पॉकेट, 01 मोबाइल पॉकेट, 02 पेन होल्डर, 01 खुला पॉकेट, फैशनदार पट्टी पर संस्थान का लोगो तथा नाम प्रिन्ट के साथ, चैन 08 नं0, रनर 08 नं0, स्पाईरल नोटबुक A8 (40 पन्ने), सेलो फ्री फ्लो पेन सैम्पल के अनुसार।
4.	**प्रशिक्षण किट (D)** साइज 15X12X04 इंच नायलो मैटिक, जूट फैब्रीक, फ्लैप के सामने लकड़ी का बटन, अन्दर की तरफ वॉलको के साथ लम्बी हैंडल (अर्जेस्टटेवल) 03 मेन पॉकेट, 01 पेन पॉकेट/मोबाइल पॉकेट, स्पैरल नोटबुक A8 (40 पन्ने), सेलो फ्री फ्लो पेन सैम्पल के अनुसार।
5.	**प्रशिक्षण किट (E)** साइज 15X12X4.5 इंच नायलो मैटिक एवं जूट फैब्रीक, चेन 08 नं0, रनर 8 नं0, लैपटॉप पाकेट, 02 अन्य पॉकेट (01 मेन पाकेट व 01 अन्य पाकेट) बेल्ट 1.5X35 इंच, मोबाइल पॉकेट पर मल्टीकलर लोगो प्रिन्ट सहित, (फ्लैप नायलो मैटिंग पर लोगो प्रिन्ट) स्पैरल नोटबुक A8 (40 पन्ने), पाइलट पेन सैम्पल के अनुसार।
6.	**प्रशिक्षण किट (F)** साइज 14X11X9 इंच जूट/काटन मैटी फैब्रीक चेन 08 नं0, रनर 08 नं0, लैपटॉप पाकेट,स्माइली/ कॉटन/ कपड़े का हैण्डिल, 06 पैकैट (03 मेन पाकेट व 03 अन्य पाकेट), लोहे के बक्कल, 1.5X30 इंच बेल्ट, स्पाइरल नोट बुक ए8 साइज (60 पन्ने), पाइलट पेन सैम्पल के अनुसार।

7.	**प्रशिक्षण किट (G)** साइज 15X11X5 इंच जूट काटन/लेदर फॉम, चेन 08 नं0 व 10 नं0, लैपटॉप पॉकेट, स्माइली कॉटन/ लेदर का हैण्डिल, 06 पैकैट (02 मेन पाकेट व 04 अन्य पाकेट), स्पाइरल नोट बुक ए8 साइज (60 पन्ने), पायलेट पेन सैम्पल के अनुसार।
8.	**प्रशिक्षण किट (H)** साइज 14 X11 इंच नाइलो मैटिक, जूट फैब्रिक फोल्डर, लम्बी हैंण्डिल सहित, नोटबुक (20 पन्ने), सेलो बॉल पेन सैम्पल के अनुसार।

नोट:-महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार आवश्यकता पड़ने पर विशिष्टियों में बैग के कलर आदि में परिवर्तन किया जा सकता है, इसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अनुलग्नक–2

वित्तीय विड

क्र.सं.	वस्तु का स्पेसिफिकेशन	धनराशि प्रति नग रू0 में (सभी करों सहित)
1.	**प्रशिक्षण किट (A)** साइज 13 X10 इंच नाइलो मैटिक, जूट फोल्डर अन्दर की तरफ कई पॉकेट(01 बड़े, 2 कार्ड होल्डर, 01 पेन होल्डर) फ्लैप सहित, नोटबुक (20 पन्ने), सेलो बॉल पेन सैम्पल के अनुसार	
2.	**प्रशिक्षण किट (B)** साइज 13.5X10.5 नाइलो मैटिक, जूट फोल्डर जूट पट्टी के साथ। सामने तथा पीछे नाइलो मैटिक फैब्रीक एवं नॉन वोवन, जिप सहित। 02 बड़े पॉकेट, 01 कार्ड होल्डर, 01 पेन होल्डर नोटबुक (20 पन्ने), सेलो बॉल पेन सैम्पल के अनुसार	
3.	**प्रशिक्षण किट (C)** साइज 12X14X05 इंच नाइलो मैटिक, जूट फैब्रीक, अन्दर रबर सीट लगा हुआ। 1.5 इंच स्माइली/काटन बड़ा हैण्डिल, 02 मेन पॉकेट, 01 मोबाइल पॉकेट, 02 पेन होल्डर, 01 खुला पॉकेट, फैशनदार पट्टी पर संस्थान का लोगो तथा नाम प्रिन्ट के साथ, चैन 08 नं0, रनर 08 नं0, स्पाईरल नोटबुक A8 (40 पन्ने), सेलो फ्री फ्लो पेन सैम्पल के अनुसार।	
4.	**प्रशिक्षण किट (D)** साइज 15X12X04 इंच नायलो मैटिक, जूट फैब्रीक, फ्लैप के सामने लकड़ी का बटन, अन्दर की तरफ वॉलको के साथ लम्बी हैंडल (अर्जेस्टटेवल) 03 मेन पॉकेट, 01 पेन पॉकेट/मोबाइल पॉकेट, स्पैरल नोटबुक A8 (40 पन्ने), सेलो फ्री फ्लो पेन सैम्पल के अनुसार।	
5.	**प्रशिक्षण किट (E)** साइज 15X12X4.5 इंच नायलो मैटिक एवं फैब्रीक जूट, चेन 08 नं0, रनर 8 नं0, लैपटॉप पाकेट, 02 अन्य पॉकेट (01 मेन पाकेट व 01 अन्य पाकेट) बेल्ट 1.5X35 इंच, मोबाइल पॉकेट पर मल्टीकलर लोगो प्रिन्ट सहित, (फ्लैप नायलो मैटिंग पर लोगो प्रिन्ट) स्पैरल नोटबुक A8 (40 पन्ने), पाइलट पेन सैम्पल के अनुसार।	

6.	**प्रशिक्षण किट (F)** साइज 14X11X9 इंच जूट/काटन मैटी फैब्रीक चेन 08 नं0, रनर 08 नं0, लैपटॉप पाकेट,स्माइली/ कॉटन/ कपड़े का हैण्डिल, 06 पैकैट (03 मेन पाकेट व 03 अन्य पाकेट), लोहे के बक्कल, 1.5X30 इंच बेल्ट, स्पाइरल नोट बुक ए8 साइज (60 पन्ने), पाइलट पेन सैम्पल के अनुसार।	
7.	**प्रशिक्षण किट (G)** साइज 15X11X5 इंच जूट काटन/लेदर फॉम, चेन 08 नं0 व 10 नं0, लैपटॉप पॉकेट, स्माइली कॉटन/ लेदर का हैण्डिल, 06 पैकैट (02 मेन पाकेट व 04 अन्य पाकेट), स्पाइरल नोट बुक ए8 साइज (60 पन्ने), पायलेट पेन सैम्पल के अनुसार।	
8.	**प्रशिक्षण किट (H)** साइज 14 X11 इंच नाइलो मैटिक, जूट फैब्रिक फोल्डर, लम्बी हैंण्डिल सहित, नोटबुक (20 पन्ने), सेलो बॉल पेन सैम्पल के अनुसार।	
	योग- **अंकों में-** **शब्दों में-**	

नोट–वित्तीय बिड में दरों का उल्लेख सभी करों सहित किये जाने की अनिवार्यता है, इसके अतिरिक्त कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर

अनुलग्नक-03

संस्थानों की सूची

क्र0स0	संस्थान का नाम
1.	दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ
2.	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बिचपुरी–आगरा
3.	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, आसफपुर–बदायूँ
4.	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बड़ौत–बागपत
5.	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, लखावटी–बुलन्दशहर
6.	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बकेवर–इटावा
7.	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, मसौधा–अयोध्या (फैजाबाद)
8.	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, गाजियाबाद
9.	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, गाजीपुर
10.	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, चरगावाँ–गोरखपुर
11.	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, चिरगाँव–झांसी
12.	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान,बख्शी का तालाब, लखनऊ
13.	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, मैनपुरी
14.	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, दोहरीघाट–मऊ
15.	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, अफीम की कोठी, प्रतापगढ़
16.	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, कालाकांकर, प्रतापगढ़
17.	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, रायबरेली
18.	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, रामपुर मनिहारन–सहारनपुर
19.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बसनेहटा–प्रयागराज
20.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, धनीपुर–अलीगढ़
21.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, चित्तौरा–बहराइच
22.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बलिया
23.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बडोखर खुर्द–बांदा
24.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बाराबंकी
25.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बरेली
26.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बस्ती
27.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बिजनौर
28.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, देवरिया
29.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, फतेहपुर
30.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, दादरी–गौतमबुद्धनगर
31.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, झंझरी–गोण्डा
32.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, मौदहा–हमीरपुर
33.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, हरदोई

34.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, उरई–जालौन
35.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, जौनपुर
36.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, छिबरामऊ–कन्नौज
37.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, रावतपुर–कानपुर
38.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, कासगंज
39.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, लखीमपुर–खीरी
40.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, रोडा–ललितपुर
41.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, दामोदरपुर–मथुरा
42.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, भोड़सर–मीरजापुर
43.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, मुरादाबाद
44.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, जनसठ–मुजफ्फरनगर
45.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, पीलीभीत
46.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, रामपुर
47.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, तिलहर– शाहजहाँपुर
48.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, खैराबाद–सीतापुर
49.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, दुबेपुर–सुल्तानपुर
50.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, दोस्तीनगर–उन्नाव
51.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, परमानन्दपुर–वाराणसी